



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2017/कार्तिक 23, 1939

No. 438]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017/KARTIKA 23, 1939

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2017

फा. सं. 1-1/2017-समन्वय.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24वां) की धारा 8 के साथ पठित धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण कामकाज करने हेतु भादूविप्रा की बैठकें अधिनियम, 1999 में एतद्द्वारा अगला संशोधन करता है, अर्थात्—

संक्षिप्त नाम, सीमा और प्रारंभ.—

- (i) इस विनियम का संक्षिप्त नाम कामकाज करने हेतु भादूविप्रा की बैठकें (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2017 है।
(ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- कामकाज करने हेतु भादूविप्रा की बैठकें अधिनियम, 1999 के विनियम 6 में कथन "माह में एक बार" को कथन "तीन माह में एक बार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सुनील कुमार गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./307/17]

टिप्पणी : व्याख्यात्मक ज्ञापन कामकाज करने हेतु भादूविप्रा की बैठकें (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 6वां) के प्रयोजन और कारणों को स्पष्ट करता है।

अनुलग्नक—कव्याख्यात्मक ज्ञापन

- कामकाज करने हेतु भादूविप्रा की बैठकें अधिनियम, 1999 में कामकाज करने हेतु आवश्यक कोरम सहित भादूविप्रा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत आयोजित प्राधिकरण की बैठकों अनुसरण किए जाने वाले समय, स्थान और प्रक्रिया के लिए प्रावधान किया गया है।
- कामकाज करने हेतु भादूविप्रा की बैठकें अधिनियम, 1999 की धारा IV के खंड 6 के अनुसार, कामकाज करने हेतु बैठक माह में एक बार आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, धारा IV का खंड 5 अध्यक्ष को प्राधिकरण की बैठक का स्थान और समय निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- विनियम 15(1) में प्रावधान है कि फाइलों के परिपत्रण द्वारा निर्णय लिए जा सकते हैं और बाद की बैठकों में इन निर्णयों की अभिपुष्टि की जाएगी। अतः यह अनुभव किया गया कि तीन माह में कम से कम एक बार प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने के लिए विनियम में संशोधन किया जाए।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2017

F. No. 1-1/2017-Coord.—In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of section 36, read with section 8, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Authority hereby further amends the TRAI Meetings for Transaction of Business Regulation, 1999, namely:—

Short Title, extent and commencement

1. (i) This Regulation may be called the TRAI Meetings for Transaction of Business (Third Amendment) Regulation, 2017.
- (ii) This Regulation shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In regulation 6 of the TRAI Meetings for Transaction of Business Regulation, 1999, for the words “once a month”, the words “once in three months” shall be substituted.

SUNIL KUMAR GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./307/17]

Note : The explanatory memorandum explains the object and reasons of the TRAI Meetings for Transaction of Business (Third Amendment) Regulation, 2017 (6 of 2017).

Annexure – A**Explanatory Memorandum**

1. The TRAI Meetings for Transaction of Business Regulation, 1999, provides for time, place and the procedure to be followed at the meetings of the Authority held under Sub-section (1) of Section 8 of TRAI Act, including quorum necessary for the transaction of Business.
2. As per the clause 6 of Section IV of the TRAI Meetings for Transaction of Business Regulation, 1999, the Meeting for Transaction of Business shall be held once a month. Further, the clause 5 of Section IV empowers chairperson to decide the place and timing of the meeting of the Authority.
3. Regulation 15(1) provides that decisions can be taken through circulation of files and these decisions are ratified in the subsequent meetings. Therefore, it is felt that the regulation may be amended to hold the meeting of the authority at least once in three months.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.14
22:54:25 +05'30'